17/6/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थिया पक्ष प्रार्थीया निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल मिसल किया गया। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2025/302

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 117/2025 दा.ता.: 13.05.25

–: अनवान :–

रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. रामप्रताप पुत्र बृजलाल जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

... प्रार्थीया

बनाम

1. भालाराम पुत्र बृजलाल जाति कुम्हार निवासी 4 बी.के.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
3. उप–पंजीयक राजियासर।
4. शाखा प्रबंधक, ओ.बी.सी. बैंक वर्तमान पी.एन.बी. बैंक शाखा रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री लेखराज देरासरी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 17.06.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए, 209 आरटीए के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया हैं कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 22.05.2010 को पत्थर नम्बर 78/64 की 10.08 बीघा भूमि को बेचान करके इकरारनामा प्रार्थी/वादी के पति के पक्ष में करवाकर कब्जा दे दिया गया था इसलिए इकरारनामा के आधार पर प्रार्थीया/वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया हैं व दावे के निर्णय तक 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने अनुतोष चाहा हैं कि अप्रार्थी न. 1 के नाम चक 2 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 96/151 के पत्थर नम्बर 78/64 मु.न. 13 के किला नम्बर 1 ता 25/1 में 6.070 हैक्टेयर कमांड/अनकमांड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड हैं। अप्रार्थी न. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पत्थर नम्बर 78/64 मु.न. 13 के किला नम्बर 1 ता 15/1 व 16/1 में 1 बीघा 23 में 16 बिस्वा, 24 में 16 बिस्वा कुल 10.08 बीघा भूमि का बेचान कर इकरारनामा दिनांक 22.05.2010 को करके प्रतिफल के रूप में नगद रूपये प्राप्त कर प्रार्थीया के पति रामप्रताप को भूमि का कब्जा दे दिया गया था व भूमि का बैयनामा आज तक नहीं करवाया हैं, प्रार्थीया के पति रामप्रताप का दिनांक 01.05.2020 को स्वर्गवास हो जाने से प्रार्थीया उनकी पत्नी होने के नाते वारिस होने से वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिणी हैं। इकरारनामा करवाया तब जैरप्रकरण भूमि की किस्ते बकाया होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–117/2025)

अप्रार्थी द्वारा जैरप्रकरण आंवटित भूमि की किस्ते वर्ष 2018 में जमा करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये थे व 2020 में प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास हो गया व बाद में महामारी की वजह से लॉक डाउन जैसी परिस्थिति बनी रहने से बैयनामा नहीं करवाया गया। बाद में अप्रार्थी को जैरप्रकरण भूमि का बैयनामा करवाने का कहा तो टालमटोल करता रहा। आखिर में अप्रार्थी न. 1 के मन में बदयांति आ गई व अनजान लोगो को भूमि बैय करने के लिए दिखाने लगा। अगर भूमि किसी अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दी तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए अप्रार्थी को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद पत्र के निर्णय तक जैरप्रकरण भूमि को रहन बैय नहीं करे व प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे दखल न तो स्वयं करे , न ही किसी अन्य से करावे का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस दिनांक 13.05.2025 को एकतरफा तौर पर सुनी गई व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत इकरारनामा चित्रप्रति व जमाबंदी का अवलोकन किया गया व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए दिनांक 13.05.2025 तक अप्रार्थी न. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि जैरप्रकरण भूमि चक 2 जी.डी.एस.एम. के खाता संख्या 96/151 के पत्थर नम्बर 78/64 मु.न. 13 के किला नम्बर 1 ता 6/1.518 हैक्टेयर, 15–16/0.506, 23/1 ता 25/1 की 0.606 हैक्टेयर कुल 2.630 हैक्टेयर खातेदारी भूमि में प्रार्थीया के कब्जा काश्त न तो स्वयं दखलन्दाजी करें , न किसी अन्य से करावे हेतु पाबन्द रहे तथा उक्त रकबा को रहन बैय न करे, मौका एवं रिकार्ड यथावत रख्ने के आदेश दिये गये व अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिये गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

दिनांक 03.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय ने जवाब प्रस्तुत किया व उनकी तरफ से अधिवक्ता की तरफ से वकालतनामा भी प्रस्तुत करने पर पत्रावली वास्ते बहस रखी गई व दिनांक 10.06.2025 को दोनो पक्षो के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सूनी गई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को ही दोहराते हुए बहस की कि अप्रार्थी ने अपने नाम की भूमि में से 10.08 बीधा भूमि को बेचान करने का सौदा करके दिनांक 22.05.2010 को इकरारनामा प्रार्थीया के पति स्व. रामप्रताप के पक्ष में लिखवा कर मौका पर भूमि का कब्जा सन् 2010 से लगातार चला आ रहा हैं। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थी इस रकबा को किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे व प्रार्थीया के कब्जा काश्त में दखल नहीं करने का एक तरफा आदेश दिनांक 13.05.2025 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थायी किया जावे।

अप्रार्थी न. 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस की कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के पति को जैरप्रकरण 10.08 बीघा भूमि का दिनांक 22.05.2010 को कोई इकरारनामा नहीं करवाया गया था चूंकि अप्रार्थी द्वारा [illegible] भूमि का मुख्त्यारनामा आम दिनांक 27.07.2005 को प्रार्थीया के पति [illegible] को दिया गया था उसमें भूमि को बेचान करने बैयनामा तस्दीक [illegible] था जब अप्रार्थीया के पति रामप्रताप के पक्ष में मुख्त्यारनामा [illegible] करने के अधिकार हासिल थे तो अप्रार्थी से 2010 में इकरारनामा करवाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अप्रार्थी द्वारा जो मुख्त्यारनामा प्रार्थीया के पति को दिया गया था [illegible] 12 वर्षो के बाद दिनांक 07.09.2017 को निरस्त करवाया गया था व इसकी सूचना प्रार्थीया के पति को दे दी गयी थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–117/2025)

अप्रार्थी द्वारा एक इकरारनामा जैरप्रकरण भूमि में से 0.381 हैक्टेयर भूमि का इकरारनामा दिनांक 28.12.2018 को करवाया गया था उसमें दोनो पक्षो ने माना हैं कि अप्रार्थी के नाम 6.070 हैक्टेयर सारी भूमि का कब्जा अप्रार्थी के पास हैं। भूमि पर कोई विवाद नहीं हैं व इस 0.381 हैक्टेयर भूमि का बैयनामा भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के पुत्र महावीर प्रसाद के पक्ष में करवा दिया था व इस बैयनामा के पूर्व इकरारनामा दिनांक 28.12.2018 को दोनो पक्षो ने यह भी लिखा गया हैं कि इस इकरारनामा से पूर्व कोई इकरारनामा या शपथ पत्र नहीं लिखा गया हैं व कोई लिखा गया हैं तो वह निरस्त समझा जायेगा। इस इकरारनामा में यह भी लिखा हुआ हैं कि आज दिनांक 28.12.2018 तक अप्रार्थी के नाम 6.070 हैक्टेयर भूमि का कब्जा काश्त अप्रार्थी के पास ही हैं व किसी प्रकार का विवाद नहीं हैं व अप्रार्थी द्वारा अपने नाम जैरप्रकरण 6.070 हैक्टेयर भूमि का सीमा ज्ञान करवाया गया था उसमें भी पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.04.2025 में सारी भूमि का कब्जा काश्त अप्रार्थी के पास हैं व किसी प्रकार का विवाद नहीं हैं। उनकी यह भी बहस हैं कि इकरारनामा गैरखातेदारी भूमि के समय का बताया गया हैं जिसको उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए के तहत जिला कलक्टर से नियमन की फीस जमा करवा कर नियमन नहीं करवाया जाता तक तक यह बतौर इकरारनामा पढ़ा ही नहीं जा सकता। इकरारनामा पंजीबद्ध नहीं हैं व इकरारनामा से इकरारकर्ता को कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उस इकरारनामा के आधार पर सीविल अदालत से बैयनामा करवाने के आदेश से बैयनामा नहीं करवा लेता, इकरारनामा के आधार पर सीविल कोर्ट से ही अनुतोष प्राप्त कर सकती हैं। पानी की पर्ची व गिरदावरियां अप्रार्थी के नाम हैं, अप्रार्थी ढ़ाणी बना कर परिवार सहित खेत में रहता हैं व पानी की सुविधा के लिए डिग्गी बना रखी हैं, ट्युबवैल लगा रखा हैं। इन सब बातो से साबित होता हैं कि अप्रार्थी द्वारा कोई इकरारनामा 2010 में नहीं करवाया गया था। जब प्रार्थीया के पति के पास मुख्त्यारनामा आम था तो वह इकरारनामा ही पति के पास मुख्त्यारनामा आम था तो वह इकरारनामा ही क्यों बैयनामा भी अपने नाम करवा लेता। प्रार्थीयां ने अदालत के समक्ष झूठा शपथ देकर अदालत से एकतरफा तौर पर दिनांक 13.05.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवायी गयी थी उसकी आड़ में जबरिया जैरप्रकरण भूमि में घुसकर अप्रार्थी के परिवार के साथ झगड़ा आदि किया। इसलिए प्रार्थीया के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जावे। अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में डी.एन.जे. 2001 पेज 679, टी.पी.एक्ट की धारा 54, आरबीजे 2006 पेज 773, आरबीजे 2016 पेज 125, आरआरटी 2016 पेज 1144 व आरआरटी 2013 पेज 123 के निर्णयो में पारित सिद्धान्त इस प्रकरण पर पूरी तरह से लागू होते है, इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अदालत द्वारा दिनांक 13.05.2025 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किया जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए निरस्त किया जावे।

पत्रावली का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया। दोनो पक्षो के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर भी मनन किया गया व दोनो पक्षो द्वारा अपर अदालतो द्वारा विभिन्न निर्णयो में कानूनी बिन्दुओ पर सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं, उन्हें भी सम्मानपूर्वक पढ़ा व मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 22.05.2010 की फोटोप्रति प्रस्तुत की है, वह पंजीबद्ध नहीं हैं व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से भी यह साबित है कि वाद पत्र व 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन जैरप्रकरण 6.08 बीघा भूमि का कब्जा प्रार्थीया के पास था, यह साबित करने में असफल रही है। प्रार्थीया के पति व अप्रार्थी के मध्य 2018 से पूर्व दोनो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–117/2025)

पक्षों के मध्य जैरप्रकरण भूमि का कोई इकरारनामा नहीं किया हुआ हैं व दोनो पक्षो ने यह भी माना हैं कि जैरप्रकरण भूमि का कब्जा काश्त अप्रार्थी के पास हैं। जब मुखत्यारनामा प्रार्थीया के पति के पास था तो वह इकरारनामा होता तो बैयनामा भी करवाने में सक्षम था। दोनो पक्ष इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि जैरप्रकरण भूमि के इकरारनामा दिनांक 22.05.2010 के आधार पर सीविल जज के न्यायालय में विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु वाद पत्र विचाराधीन हैं, उसमें ही विवादि इकरारनामे का निर्णय होना हैं। राजस्व न्यायालय इकरारनामे के गुण व दोष के आधार पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार क्षेत्र न मानकर यह देखना था कि क्या कब्जा जैरप्रकरण भूमि का प्रार्थीया के पास वाद प्रस्तुत करने के दिन था, प्रार्थीया यह साबित करने में असफल रही हैं कि प्रकरण प्रस्तुत करने व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की दिनांक 13.05.2025 के दिन जैरप्रकरण भूमि का कब्जा प्रार्थीया के पास था प्रस्तुत साक्ष्यों से जैरप्रकरण भूमि का कब्जा काश्त अप्रार्थी के पास होना साबित होने से प्रार्थीया के पक्ष में जारी की गई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.05.2025 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए 1955 निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 .को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:26 IST
Reason: SelfAttested